UPMB010024122024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या–680 / 2024
सरकार बनाम शिवम श्रीवास आदि,
धारा 366,376,506 भा0दं0सं0
मु0अ0सं0–217 / 2024
थाना पनवाडी जिला महोबा।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **शिवम श्रीवास** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँः–

प्रथम– यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2024 को समय 1:30 बजे दिन स्थान बैंक खाते की के0 वाई सी0 कराने पनवाडी गयी वहॉ से आप अभियुक्त वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता को अपहृत करके ले गये। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–366 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2024 के बाद से स्थान इन्दौर म0 प्र0 में किराये कमरा में वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक प्रवेशन हमला / बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 05.03.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 05.03.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010024122024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या–680 / 2024
सरकार बनाम शिवम श्रीवास आदि,
धारा 366,376,506 भा0दं0सं0
मु0अ0सं0–217 / 2024
थाना पनवाडी जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **शिवम श्रीवास** जेल से मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **शिवम श्रीवास** के विरूद्ध धारा 366,376,506 भा0 दं0 सं0 का प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.03.2025 को पेश हो।

दिनांकः 05.03.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010024122024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या–680 / 2024
सरकार बनाम शिवम श्रीवास आदि,
धारा 506 भा0दं0सं0
मु0अ0सं0–217 / 2024
थाना पनवाडी जिला महोबा।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **मदन श्रीवास** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूॅः–

यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 05.03.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 05.03.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010024122024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या–680 / 2024
सरकार बनाम शिवम श्रीवास आदि,
धारा 506 भा0दं0सं0
मु0अ0सं0–217 / 2024
थाना पनवाडी जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **मदन श्रीवास** मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त मदन श्रीवास के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के अन्तर्गत प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.03.2025 को पेश हो।

दिनांकः 05.03.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.03.06 12:08:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court